सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या- **1/**2017/551**/33-1-2017-517/17**

प्रेषक**,**

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में**,**

1**- निदेशक**,
पंचायती राज,
उ0प्र0, **लखनऊ।**

2- मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (**ग्रामीण**),
पंचायतीराज निदेशालय, **लखनऊ।**

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनऊ: **दिनॉक**: 31 **मार्च**, **2017**

विषय**:-** शासन के अग्रिम आदेशों तक ग्राम पंचायतों द्वारा टेण्डर निर्गत करने**/** भुगतान करने एवं संविदा**/** आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति पद रोक।

महोदय**,**

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या**-517/33-1-2017,** दिनांक **24.3.2017** का संदर्भ ग्रहण करें**,** जिसके प्रस्तर**-2** एवं **3** द्वारा निम्नवत् निर्देश दिया गया है **:-**

प्रस्तर- 2 "शासन के अग्रिम आदेशों तक विभाग में टेन्डर प्रक्रिया प्रारम्भ न की जाय, जो चल रहा उसे स्थगित कर दिया जाय एवं इससे संबधित सभी प्रकार के भुगतान रोक दिये जाय।"

प्रस्तर-3 "शासन के अग्रिम आदेशों तक संविदा/आउट सोर्सिंग के आधार पर कोई नियुक्ति न की जाय। यदि दिनांक 11.3.2017 के बाद कोई नियुक्ति की गयी हो तो उसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24.3.2017 के प्रस्तर-2 को निरस्त किया जाता है तथा प्रस्तर-3 यथावत् रहेगा। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 24.3.2017 के केवल प्रस्तर-3 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**चंचल कुमार तिवारी**)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in